न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 63/2013–14 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

रामस्वरूप पिस्सर निहाला एवं (8) अन्य निवासी–ग्राम राजपुर/गोरधनपुर, परगना गोरधनपुर तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर हरिद्वार एवं (2)अन्य।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण	:	श्री प्रेमचन्द शर्मा।
अधिवक्ता राज्य सरकार	:	श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल शिविर देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–102/11–12 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0 रामस्वरूप पिस्सर निहाला एवं 8 अन्य बनाम सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार में पारित आदेश दिनांक 09–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया।

आक्षेपित आदेश दिनांक 09–12–2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28–03–2000 के विरूद्ध प्रथम निगरानी आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 09–12–2013 से निरस्त किया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय निगरानी प्रस्तुत की गई है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–333 (2) जो कि निम्नवत् हैः–

"यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई आवेदन या तो परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त को किया गया है, तो उसी व्यक्ति का कोई ओर आवेदन उनमें से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नही किया जायेगा"

उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह के द्वारा द्वितीय निगरानी ग्राह्य नही है तद्नुसार वर्तमान निगरानी जो कि निगरानीकर्तागण की द्वितीय निगरानी है धारा–333 (2) भू0रा0अधि0 से बाधित/वर्जित है।

तद्नुसार यह निगरानी अस्वीकार की जाती है।

दिनांकः 23 अगस्त, 2016

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)